

कार्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक, गढ़वा

पत्रांक 1884

प्रेषक,

जिला शिक्षा अधीक्षक,
गढ़वा।

सेवा में,

प्राचार्य,
बी०पी०डी०ए०भी० पब्लिक स्कुल फरठिया, गढ़वा।

गढ़वा, दिनांक 03.11.2014....

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महाशय,

उपयुक्त विषयक कहना है कि आपके द्वारा मान्यता हेतु अभ्यायेदन विहित प्रपत्र में कार्यालय को उपलब्ध कराई गई थी, जिसे प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, रंका 01 ने पत्रांक 170 दिनांक 21.10.2014 के द्वारा स्थलीय जांच प्रतिवेदन दिये हैं, जिसके आलोक में सभी अहर्ता पूर्ण करने के कारण शैक्षणिक सत्र 2014-15 से कक्षा 1 से VIII तक के लिए मान्यता प्रदान करने की संसूचना दी जाती है।

उपरोक्त मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-

1. इस मान्यता में किसी भी रूप में कक्ष 8 के पश्चात मान्यता/ संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विहित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के उपबंधों को पूर्णरूपेण पालन करेगा।
3. विद्यालय अपनी प्रथम कक्षा में उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. उक्त कंडिका-3 में उल्लेखित बालकों के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उपधारा (2) के उपबंधों के तहत प्रतिपूर्ति राशि हेतु विद्यालय एक अलग बँक खाता संधारित करेगा।
5. विद्यालय किसी भी प्रकार से बच्चों या उनके अभिभावक से कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा और विद्यालय में नामांकन हेतु किसी बालक या उसके माता-पिता या अभिभावक का किसी प्रकार का स्कीनिंग ट्रेस्ट नहीं लेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का संबूत नहीं होने के कारण, प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा और ऐसे स्थिति में अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन किया जायेगा।
7. विद्यालय निम्नलिखित विन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित करेगा :-
 - I. प्रवेश दिये गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुतीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - II. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मावसिक दंड नहीं दिया जाएगा,
 - III. प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई भी बोर्ड परीक्षा उतीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी,
 - IV. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधान के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा,
 - V. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/ विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।


Chairman

B. P. D.A.V. Public School
Pharathia, Garhwa-822114 (Jharkhand)


Principal

B. P. DAV Public School
Pharathia, Garhwa
Jharkhand-822114

- VI. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन घोषित सक्षम प्राधिकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित व्यूनतम अहर्ताएँ के अनुरूप किया जायेगा तथा जिनके पास उस निर्धारित व्यूनतम अहर्ता, अधिनियम, 2009 के लागू होने के समय नहीं हैं, पाँच वर्ष के भीतर ऐसी व्यूनतम् अहर्ताएँ अर्जित कर लेंगे,
- VII. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन उल्लेखित अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे,
- VIII. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
8. विद्यालय राज्य प्राधिकार द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा उल्लेखित विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाए रखेगा।
10. विद्यालय के अन्तिम विरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गड़ प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं।:-
- IX. विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल:- 3.84 एकड़।
- X. कुल विर्भित क्षेत्र :- 2023.42 वर्ग मी०
- XI. कीड़ा-खल का क्षेत्रफल :- २० डिसमील
- XII. कक्षाओं की संख्या :- 33
- XIII. प्राधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भण्डार के लिए कक्ष :- 3
- XIV. बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय :- हों।
- XV. पेयजल सुविधा:- हों।
- XVI. बाधारक्षित पहुँच :- हों।
- XVII. अध्यापन पठन सामग्री/ कीड़ा खेलकुल उपस्कर्तों/ पुस्तकालय की उल्लधता :- हों।

1. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएंगी।
2. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा-खल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।
3. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम वा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जायेगा।
4. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्ये वर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जायेगी।
5. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और जावकारी प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक/ जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/ स्थानीय प्राधिकार के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सातत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों की दूर करने के लिए जारी किए जाये।
6. विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत इसी सोसाईटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक व्यास द्वारा चलाया जायेगा। सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जायेगा।

आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक ००७..... है। कृपया इसे बोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक ००७ उल्लेख किया जाये।

जिल शिक्षा अधीक्षक,
गढ़वा।

Principal
B. P. DAV Public School
Pharathia, Garhwa
Jharkhand-822114

Chairman

B. P. D.A.V. Public School
Pharathia, Garhwa-822114 (Jharkhand)